



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 164/नागौर/20 02-2003

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री गौर वास्तुशिल्प शिक्षा समिति मुन्नाग्रमण्डि

जिला नागौर

का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण

अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण
अपज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 12-12-2002

माह दिसम्बर सन् दो हजार ०२ को नागौर

में दिया गया।



जि.प्र.प. नागौर
रजिस्ट्रार सहायक
नागौर